रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2005/9 पौष, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 27 दिसम्बर, 2005

संख्या वि0 स0–विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–69/2005.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2005

4067–राजपत्र/2005–30–12–2005––1,473. (5579) मूल्य : एक रुपया।

को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

(जे0 आर0 गाज़टा)
सचिव।

2005 का विधेयक संख्यांक 28

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह जनवरी, 2000 के प्रथम दिवस को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 14 का संशोधन ।

1973 का 4

2. हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 में, उप–धारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा (7) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(7) धारा 3 की उप–धारा (1) तथा धारा 3–क की उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची–III के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी परिवहन यान पर, इस अधिनियम के अधीन कर के असंदाय के लिए, ऐसे परिवहन यान के निरूद्ध रखे जाने और अभिगृहीत किए जाने की अवधि के दौरान, कोई भी कर उदगृहीत, प्रभारित और संदत्त नहीं किया जाएगा ।"।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 10 का निरसन और व्यावृत्ति।

3. (1) हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3 और 3–क, अनुसूची–I और अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश में प्रयोग किए गए या प्रयोग के लिए रखे गए समस्त परिवहन यानों पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करती है। ये उपबन्ध परिवहन यानों पर, उनके परिबद्धकरण और अभिग्रहण की अवधि के दौरान, इस तथ्य के होते हुए भी कि परिवहन यान निर्दिष्ट रूटों पर नहीं चल रहा है, कर और शास्ति आकृष्ट करते हैं। परिवहन यानों से, उस अवधि के लिए जब वे कर के असंदाय के लिए अभिग्रहण / परिबद्धकरण के कारण मार्ग पर नहीं चलते, उपर्युक्त अधिनियम के अधीन कर तथा शास्ति प्रभारित करना विधि के मूल सिद्धान्त के विरूद्ध है और युक्तियुक्त नहीं है। उपर्युक्त अधिनियम में, उन परिवहन यानों पर उस अवधि के दौरान, जिसमें वे उपर्युक्त अधिनियम के अधीन कर के असंदाय के लिए अभिगृहीत / परिबद्ध रहे हैं और निर्दिष्ट रूट पर नहीं चले हैं, कर के उद्ग्रहण पर छूट प्रदान करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिए, ऐसे परिवहन यान पर, उसके अभिग्रहण / निरूद्ध किए जाने की अवधि के दौरान कोई कर अथवा शास्ति उद्गृहीत न करने के लिए 1–1–2000 से भूतलक्षी प्रभाव सहित अधिनियम में उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) में संशोधन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्यांक 10) 16–11–2005 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 19–11–2005 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

जी० एस० बाली,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
तारीख ..... , 2005

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट परिवहन यानों को, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 के अधीन ऐसे परिवहन यानों को इस अधिनियम के अधीन कर के असंदाय के लिए, निरूद्ध रखे जाने और अभिगृहीत किए जाने की अवधि के दौरान कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करने के लिए है । इससे राजकोष को राजस्व की हानि होने की सम्भावना है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

– शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[परिवहन विभाग नस्ति संख्या टी. पी. टी.–सी (9)2/98–टोकन टैक्स–1]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, उपर्युक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

जी0 एस0 बाली,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख : ....., 2005.

Bill No. 28 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2005

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No.4 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows :–

Short title and comence-ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on 1st day of January, 2000.

Amend-ment of section 14.

2. In section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, after the existing sub-section (6), 4 of 1973 the following sub-section (7) shall be inserted, namely:–

"(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 3 and sub-section (1) of section 3A, no tax shall be levied, charged and paid on any transport vehicle specified in column (2) of Schedule-III during the period of detention and seizure of such transport vehicle for non-spayment of tax under this Act.".

3. (1) The Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed. Repeal of Ordinance No. 10 of 2005 and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

Sections 3 and 3A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act 1972, provides for levy of tax on all transport vehicles, specified in Schedule-I and Schedule-III, which are used or kept for use in Himachal Pradesh. These provisions attract tax and penalty on the transport vehicles even during the period of impoundment/ seizure of vehicles despite of the fact that vehicle is not plying on the designated routes. Charging of tax and penalty from the vehicles for the period they remained off road due to seizure/impoundment for non-payment of tax under the Act *ibid* is against the basic principle of law and not reasonable. There is no provision in the Act *ibid* to grant exemption from levy of tax on transport vehicles for the period they remained seized/impounded due to non payment of tax under the Act ibid and not plied on the designated routes. As such, it was decided to make a provision in the Act, with retrospective effect from 1-1-2000, for not charging any tax and penalty during the period of seizure and detention of such transport vehicle for non payment of tax. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendment in the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) was required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2005 (Ordinance No.10 of 2005) on 16-11-2005 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 19-11-2005. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

SHIMLA :
The _____, 2005

G. S. BALI,
Minister-in-Charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to exempt transport vehicles, specified in Schedule-III, from the levy of tax under the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 during the period of detention and seizure of such transport vehicles for non-payment of tax under this Act. This is likely to result in loss of revenue to the State exchequer which cannot be quantified.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

[Transport Department File No. TPT-C(9)2/98-Token Tax-I]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject-matter of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2005, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the State Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2005

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973).

G. S. BALI,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :

The _____, 2005.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित